रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1973/भाद्र 16, 1895
No. 221] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1973/BHADRA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September 1973

G.S.R. 424(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (I), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (2) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Dr. M. S. Randhawa and Shri P. L. Tandon as Directors in the Board of Directors of the Food Corporation of India, established under the said Act, in place of Dr. V. M. Dandekar and Shri Radha Raman respectively and directs that the following further amendments shall be made in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification for entry (6) and (8) the following shall be substituted respectively, namely:—

"6" Dr. M. S. Randhawa, Vice Chancellor, Agricultural University, Ludhiana.

"8" Shri P. L. Tandon, Chairman, Punjab National Bank, New Delhi.

[No. F. 4-1/73-FAC. I. Section.]

A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर 1973

सा०का०नि० 424(अ)—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उप-उपधारा (i) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डा० एम० एस० रंधावा और श्री पी० एल० टंडन को क्रमश: डा० बी० एम० डांडेकर और श्री राधारमण के स्थान पर, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रविष्टि (6) तथा (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6" डा० एम० एस० रंधावा, कुलपति, कृषि विश्व विद्यालय, लुधियाना ।

"8" श्री पी० एल० टंडन, अध्यक्ष, पंजाब नेशनल बैंक लि०, नई दिल्ली ।

[सं० फा० 4–1/73–एफ०सी०–1 अनुभाग]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973